

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

भोपाल, बुधवार दिनांक 30 जून 2010—आषाढ़ 9, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2010

क्र. एफ. ए 3-12-2010-1-पांच(64).—यतः; राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन कर अपवंचन का निवारण या उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानों पर 1 जुलाई, 2010 से जांच चौकी स्थापित करती है और नाके का परिनिर्माण करती है :—

सारणी

जांच चौकी और नाके का स्थान तथा विवरण (1)	जांच चौकी एवं नाके की अवस्थिति (2)
अनूपपुर जिले के अनूपपुर-अमरकंटक-जबलपुर मार्ग पर कबीर चबूतरा आर.टी.ओ. बेरियर के पास अमरकंटक.	अनूपपुर-अमरकंटक-जबलपुर मार्ग पर अनूपपुर से 72-73 किलोमीटर के मध्य, कबीर चबूतरा आर.टी.ओ. बेरियर के पास अमरकंटक.
अनूपपुर जिले में अनूपपुर पेन्ड्रा मार्ग व्हाया जैतहरी पर व्यंकटनगर में.	अनूपपुर से पेन्ड्रा मार्ग व्हाया जैतहरी अनूपपुर से 39-40 किलोमीटर के मध्य व्यंकटनगर में.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2010

क्र. एफ. ए 3-12-2010-1-पांच(64).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-12-2010-1-पांच (64), दिनांक 30 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th June 2010

No. F A 3-12-2010-1-V(64).—WHEREAS the State Government is satisfied that it is necessary so to do with a view to prevent or check evasion of tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, sets up check posts and erects barriers at the places specified in the table below, from 1st July, 2010 :—

TABLE

Name and description of place of check post and barrier (1)	Location of check post and barrier (2)
Amarkantak, near Kabir Chabutara R.T.O Barrier in the district of Anuppur on Anuppur-Amarkantak-Jabalpur, Road.	Between 72-73 K.M. from Anuppur on Anuppur-Amarkantak-Jabalpur Road near Kabir Chabutara R.T.O. Barrier, Amarkantak.
Vyankatnagar in the district of Anuppur on Anuppur Pendra Road, via Jaithari.	Between 39-40 K.M. from Anuppur on Anuppur Pendra Road, via Jaithari at Vyankatnagar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.